



सिद्धार्थनगर पुलिस



प्रेस नोट दिनांक 21-01-2026 जनपद सिद्धार्थनगर ।

◆डॉ० अभिषेक महाजन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर ने जनता दर्शन में आये फरियादियों की समस्याएं/ शिकायतों को सुना ।

आज दिनांक 21.01.2026 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर डॉ० अभिषेक महाजन द्वारा पुलिस कार्यालय में जनसुनवाई किया गया । जनसुनवाई में कुल 05 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए । प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों का शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने हेतु संबंधित को आदेशित किया गया ।

प्रेस नोट दिनांक 21.01.2026 थाना सिद्धार्थनगर जनपद सिद्धार्थनगर

◆थाना सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा एक नफर वारंटी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

डा० अभिषेक महाजन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा “अपराध की रोकथाम एवं वांछित/वारंटीयों की गिरफ्तारी” के सम्बन्ध में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं प्रशान्त कुमार प्रसाद, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में व विश्वजीत सौर्यान, क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण में दुर्गा प्रसाद प्रभारी निरीक्षक सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में थाना सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा आज दिनांक 21.01.2026 को वाद सं० 2066/07 धारा 279,337 भा०द०वि० से संबंधित एक नफर वारंटी को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

गिरफ्तार वारंटी का विवरण -

01.रिजवान उल्लाह पुत्र सुबहान उल्लाह निवासी मुहल्ला कृष्णानगर करबा सिद्धार्थनगर थाना व जनपद सिद्धार्थनगर ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी

01.उ०नि० विजय शंकर सिंह थाना व जनपद सिद्धार्थनगर ।

02.का० मोहन कुमार गोंड थाना व जनपद सिद्धार्थनगर ।

03.का० समर बहादुर यादव थाना व जनपद सिद्धार्थनगर ।

◆ थाना पथरा बाजार मिशन शक्ति टीम द्वारा महिला सशक्तिकरण के क्रम में मिशन शक्ति केंद्र स्थापना के उपरांत नारी सुरक्षा एवं स्वालंबन बहू बेटी सम्मेलन के तहत ग्राम सुजनापुर में चौपाल लगाकर महिलाओं/बालिकाओं को महिला के प्रति होने वाले अपराध, आत्मनिर्भर, हेल्पलाइन नम्बर आदि के बारे में पम्पलेट वितरित कर जागरूक किया गया।

डॉ० अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा महिलाओं के सुरक्षा एवं जागरूकता अभियान" के संबंध में दिए गए निर्देश के क्रम में प्रशांत कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व बृजेश कुमार वर्मा क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 21/12/2025 थानाध्यक्ष अमित कुमार थाना पथरा बाजार के नेतृत्व में थाना पथरा बाजार मिशन शक्ति टीम द्वारा थाना क्षेत्र थाना क्षेत्र के ग्राम सुजनापुर की बहू/बेटियों को जो थाने तक नहीं आ सकती हैं को चौपाल लगाकर बहु सम्मेलन के बारे में जानकारी दी गयी व खुद के साथ होने वाले अपराध से बचने के लिए मा० मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी थानों पर स्थापित मिशन शक्ति केंद्र जहां पर अपनी समस्या को दर्ज करा सकती हैं के बारे में जानकारी दी गई तथा मिशन शक्ति फेज 5.0 के विषय में महिलाओं को महिला सम्बन्धी अपराध पर अंकुश लगाने हेतु जारी हेल्प लाइन 1090 वुमेन पावर लाइन, 181 महिला हेल्प लाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन, 112 पुलिस हेल्प लाइन, 1098 चाईल्ड केयर लाइन, 08 एम्बुलेंस हेल्प लाइन, 101 अग्निशमन हेल्प लाइन, 14567 एल्डर हेल्पलाइन, 1930 साइबर हेल्पलाइन नंबर नए कानून के बारे में जानकारी दी गई।

मिशन शक्ति टीम-

- 01.उ०नि० मलखा प्रसाद थाना पथरा बाजार जनपद सिद्धार्थनगर।
- 02.हे०का० प्रवीण यादव थाना पथरा बाजार जनपद सिद्धार्थनगर।
- 03.का० संजय गौतम थाना पथरा बाजार जनपद सिद्धार्थनगर।
- 04.म०आ० ओमलता शुक्ला थाना पथरा बाजार जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट दिनांक 21/01/2026 जनपद सिद्धार्थनगर

◆मिशन शक्ति फेज 5.0 कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण, एंटीरोमियो व शक्ति दीदी अभियान एवं महिला साइबर अपराध सुरक्षा के क्रम में मदरसा जामिया इकरा कादरिया निसवा कॉलेज की छात्राओं को थाना गोलहौरा पुलिस द्वारा जागरूक किया गया।

डॉ० अभिषेक महाजन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा "महिला सशक्तिकरण ,एंटी रोमियो व महिलाओं के सुरक्षा एवं जागरूकता अभियान" के संबंध में दिए गए निर्देश के क्रम में व प्रशांत कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व पवीन प्रकाश क्षेत्राधिकारी इटवा के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 21/01/2026 को रामदेव थानाध्यक्ष गोलहौरा के नेतृत्व में थाना गोलहौरा मिशन शक्ति टीम उ०नि० दीनदयाल सिंह, मु०आ०विनोद कुमार, म०आ० तृप्ति चौबे द्वारा थाना क्षेत्र के विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर एंटीरोमियो चेकिंग किया गया व मदरसा जामिया इकरा कादरिया निसवा कॉलेज की छात्राओं को जागरूक किया गया तथा महिला सुरक्षा, गुड टच, बैड टच व साइबर सुरक्षा से संबंधित विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गयी तथा हेल्पलाइन नं० 1090 वुमेन पावर लाइन, 181 महिला हेल्प लाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन, 112 पुलिस हेल्प लाइन, 1098 चाईल्ड केयर लाइन, 108 एम्बुलेंस हेल्प लाइन, 101 अग्निशमन हेल्प लाइन, 14567 एल्डर हेल्पलाइन, 1930 साइबर क्राइम हेल्प लाइन के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी।

प्रेस नोट दिनांक 21-01-2026 जनपद सिद्धार्थनगर

◆वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा सिद्धार्थनगर महोत्सव की तैयारियों का किया गया निरीक्षण।

◆संबंधित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ० अभिषेक महाजन द्वारा जनपद में दिनांक 28 जनवरी से 01 फरवरी, 2026 तक बीएसए ग्राउण्ड में आयोजित होने वाले सिद्धार्थनगर महोत्सव की तैयारियों जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान महोत्सव की तैयारियों, पार्किंग व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, शांति व्यवस्था हेतु लगाये जाने वाले पुलिस बल इत्यादि की समीक्षा कर संबंधित को आवश्यक निर्देश दिये गये। इस दौरान प्रशान्त कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर, विश्वजीत सौरयान सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर, सुजीत कुमार राय क्षेत्राधिकारी यातायात, राज कुमार सिंह क्षेत्राधिकारी कार्यालय तथा प्रभारी यातायात, प्रभारी निरीक्षक थाना सिद्धार्थनगर सहित अन्य अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे।

◆ थाना खेसरहा पुलिस द्वारा राजकीय डिग्री कॉलेज पंचमोहिनी में सड़क सुरक्षा एवं जीरो फेटालिटी (Zero Fatality) अभियान के अंतर्गत जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया।

डॉ० अभिषेक महाजन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा " के द्वारा चलाये जा रहे सड़क सुरक्षा एवं जीरो फेटालिटी (Zero Fatality) अभियान" के तहत प्रशान्त कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में व रोहिणी यादव क्षेत्राधिकारी बाँसी के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 21.01.2025 को अनूप कुमार मिश्र थानाध्यक्ष थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर मय टीम द्वारा सड़क सुरक्षा एवं जीरो फेटालिटी जागरूकता सेमिनार थाना खेसरहा पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा एवं जीरो फेटालिटी (Zero Fatality) अभियान राजकीय डिग्री कॉलेज पंचमोहिनी, थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर में जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में लगभग 50 छात्र एवं छात्राओं एवं महाविद्यालय के प्राचार्य श्री दिलीप कुमार, सड़क सुरक्षा प्रभारी डॉ० मुकेश गुप्ता के साथ-साथ डॉ० चन्दन कुमार, डॉ० अरविंद, डॉ० दीपेंद्र बहादुर सिंह और कनिष्ठ सहायक श्री शैलेश कुमार ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित छात्रों को यातायात नियमों के पालन, हेलमेट व सीट बेल्ट के उपयोग, ओवरस्पीडिंग, शराब पीकर वाहन न चलाने तथा सुरक्षित ड्राइविंग के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। थाना खेसरहा पुलिस द्वारा छात्रों से अपील की गई कि वे स्वयं यातायात नियमों का पालन करें एवं समाज में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाएँ, जिससे जीरो फेटालिटी के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

सेमिनार में प्रतिभाग करने वाली टीम-

01. अनूप कुमार मिश्र थानाध्यक्ष खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर।
02. उ० नि० जियाउल्लाह सिद्दीकी थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर।
03. उ० नि० चन्द्रिका प्रसाद मौर्य थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर।
04. क० रा० रामकिशुन थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर।
05. हे० क० सत्येन्द्र सिंह थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर।
05. क० ज्ञानेश्वर चौहान थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर।
06. म० क० संगीता देवी थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट दिनांक 21.01.2026 जनपद सिद्धार्थनगर।

◆थाना बांसी पुलिस द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

डॉ० अभिषेक महाजन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत प्रशांत कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में व सुश्री रोहनी यादव क्षेत्राधिकारी बांसी के कुशल निर्देशन एवं मृत्युंजय पाठक प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली बांसी जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में आज दिनांक- 21.01.2026 को थाना बांसी पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 256/2025 धारा 137(2),65(1) BNS व 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना बांसी में वांछित अभियुक्त को सोनखर बाजार से गिरफ्तार किया गया तथा आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय से समक्ष प्रस्तुत करने हेतु खाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01.राकेश पुत्र जुगानू निवासी भड़ही मिश्रौलीया थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

01.उप निरीक्षक रामाज्ञा प्रसाद थाना कोतवाली बांसी जनपद सिद्धार्थनगर।

02.हे०का० शैलेन्द्र प्रताप चंद थाना कोतवाली बांसी जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट दिनांक 21.01.2026 जनपद सिद्धार्थनगर

◆ थाना बांसी पुलिस द्वारा 03 वांछित अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

डॉ० अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रशांत कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में व रोहनी यादव क्षेत्राधिकारी बांसी के कुशल निर्देशन एवं मृत्युंजय पाठक प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली बांसी जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में आज दिनांक- 21.01.2026 को थाना बांसी पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 009/2026 धारा 191(2),118(2),115(2),352,351(3) BNS थाना बांसी में वांछित 03 अभियुक्तगण को मोहल्ला राप्ती नगर रामगढ़ बगीचा से गिरफ्तार किया गया तथा आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर, माननीय न्यायालय से समक्ष प्रस्तुत करने हेतु रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

- 01.अशोक यादव पुत्र सत्यदेव यादव निवासी मोहल्ला राप्तीनगर रामगढ़ थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर।
- 02.उदय प्रकाश यादव पुत्र अशोक यादव निवासी मोहल्ला राप्तीनगर रामगढ़ थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर।
- 03.रियाज अली उर्फ छोटू पुत्र अहमद अली उर्फ पुन्नी निवासी मोहल्ला राप्तीनगर रामगढ़ थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- 01.उप निरीक्षक स्वामीनाथ भास्कर थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर।
- 02.का० सूर्य प्रकाश सिंह थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर।
- 03.का० घनश्याम सिंह थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट दिनांक 19.01.2026 जनपद सिद्धार्थनगर ।

◆“आपरेशन कन्विक्शन” के तहत जिला मॉनिटरिंग सेल व थाना मोहाना पुलिस की प्रभावी पैरवी से नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 07 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व ₹45,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे “आपरेशन कन्विक्शन” के तहत डॉ० अभिषेक महाजन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में आज दिनांक 21.01.2026 को वाद सं०-16/2016 मु०अ०सं० 772/2015 धारा 376,366,363 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना मोहाना में पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश श्री बीरेन्द्र कुमार अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्पे० पॉक्सो एक्ट जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त संजय पासवान पुत्र कल्लू निवासी परसौना थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर को 07 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व ₹45,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया । सजा कराये जाने में जिला मॉनिटरिंग सेल, अभियोजक पवन कुमार कर पाठक तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी पूरन यादव थाना मोहाना का सराहनीय योगदान रहा ।

प्रेस नोट दिनांक 21.01.2026 जनपद सिद्धार्थनगर

◆जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा एस0एस0बी0, कस्टम के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में नेपाल बार्डर से हो रही विभिन्न प्रकार की तस्करी के प्रभावी रोकथाम हेतु बैठक किया गया ।

◆संबन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश ।

आज दिनांक 21.01.2026 को जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा एस0एस0बी0, कस्टम के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में नेपाल बार्डर पर हो रही विभिन्न प्रकार की तस्करी के प्रभावी रोकथाम हेतु बैठक किया गया । बैठक के दौरान मादक पादार्थों व विभिन्न प्रकार की तस्करी के तरीकों के सम्बन्ध में अभिसूचनाओं के आदान-प्रदान, अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों का व्यपवर्तन तथा प्रतिबन्धित दवाओं का दुरुपयोग एवं तस्करी तथा नशामुक्ति के सम्बन्ध में आमजन को जागरूक करने, बार्डर पर गश्त/चेकिंग इत्यादि बिन्दुओं पर चर्चा की गयी तथा सम्बन्धित को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये । इस दौरान अपर जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी सदर, क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़, क्षेत्राधिकारी अपराध तथा बार्डर के थानों के प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष सहित विभिन्न विभागों के अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे ।

प्रेस नोट- दिनांक 21.01.2026 जनपद सिद्धार्थनगर

◆जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर व पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार कक्ष में अभियोजन कार्यों, महिला अपराधों के संबंध में गोष्ठी की गयी ।

आज दिनांक 21.01.2026 को जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर शिवशरणप्पा जीएन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर डॉ० अभिषेक महाजन द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार कक्ष में अभियोजन के कार्यों के संबंध में गोष्ठी कर जनपद में महिला अपराध, पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोगों तथा टॉप-10 अपराधियों को सजा दिलाने व न्यायालय में लम्बित वादों के निस्तारण के सम्बन्ध में गोष्ठी कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।

प्रेस नोट दिनांक 21.01.2026 जनपद सिद्धार्थनगर ।

◆“आपरेेशन कन्विक्शन” के तहत जिला मानिट्रिंग सेल व थाना खेसरहा पुलिस की प्रभावी पैरवी से मारपीट व गाली-गुप्ता के 02 आरोपियों को 01-01 वर्ष के कारावास व प्रत्येक को ₹8,000-8,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे “आपरेेशन कन्विक्शन” के तहत डॉ० अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में आज दिनांक 21.01.2026 को वाद सं०-127/2028 मु०अ०सं०-123/2018 धारा 147,148,323,324,427,504,506 भादवि व 3(1)द एससी/एसटी अधिनियम थाना खेसरहा में पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश श्री मनोज कुमार तिवारी, माननीय न्यायालय एसजे/स्पे० एससी/एसटी जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 01.मंगरू लोध पुत्र अयोध्या 02.मौजीदास पुत्र सक्कल निवासीगण कड़जा टोला लोधपुरवा थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर को धारा 323,324,504,506 भादवि व 3(1)द एससी/एसटी अधिनियम में 01-01 वर्ष के कारावास व प्रत्येक को ₹8,000-8,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया । सजा कराये जाने में जिला मानिट्रिंग सेल, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता ईश्वर चन्द्र दूबे तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी राजेश्वर चन्द थाना खेसरहा का सहायनीय योगदान रहा ।

प्रेस नोट दिनांक 21-01-2026 जनपद सिद्धार्थनगर।

◆क्षेत्राधिकारी इटवा द्वारा सर्किल इटवा के थानो का अर्दली रुम, साइबर अपराध अपराध की समीक्षा गोष्ठी की गयी।

पवीन प्रकाश, क्षेत्राधिकारी सर्किल इटवा द्वारा आज दिनांक 21-01-2026 को सर्किल इटवा के थानो का अर्दली रुम अपराध समीक्षा गोष्ठी कर कानून-व्यवस्था की समीक्षा की गयी तथा थाना प्रभारी/विवेचकगण को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। तत्पश्चात विवेचनाओं के निस्तारण, पुराने मामलों के निस्तारण, जनशिकायत द्वारा प्राप्त प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में कड़े निर्देश दिये गये। शहर व ग्रामीण इलाकों में पैदल गश्त, साइबर अपराध के रोकथाम सम्बन्धी प्रचार-प्रसार, साक्ष्य के आधार पर विवेचनाओं का निस्तारण एवं अभियुक्तों के प्रति वैधानिक कार्यवाही, साइबर अपराध, निरोधात्मक कार्यवाही में गुण्डा अधिनियम, गैंगेस्टर अधिनियम व MULE अकाउंट व POS (प्वाइंट ऑफ सेल) जांच के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने आदि बिन्दुओं पर निर्देश दिया गया। उक्त गोष्ठी के दौरान सर्किल के समस्त थाना प्रभारी एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

प्रेस नोट दिनांक 21-01-2026 जनपद सिद्धार्थनगर।

◆जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस आगामी गणतंत्र दिवस के दृष्टिगत द्वारा सतर्कता एवं सुरक्षा को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु अपने-अपने थाना क्षेत्रों में पैदल गश्त/चेकिंग कर आमजनमानस में सुरक्षा का एहसास कराया गया।

डॉ० अभिषेक महाजन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में, प्रशान्त कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में आज दिनांक 21.01.2026 को जनपद के क्षेत्राधिकारी, प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा आगामी गणतंत्र दिवस के दृष्टिगत सतर्कता एवं सुरक्षा को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु अपने-अपने सर्किल/थाना क्षेत्रों में पड़ने वाले चिह्नित हॉट स्पॉट (बाजार, रेलवे स्टेशन) पर एवं उसके आस-पास के क्षेत्रों में पैदल गश्त एवं गहन चेकिंग किया जा रहा है तथा आम जनमानस में सुरक्षा का एहसास कराते हुये आपस में सौहार्द बनाये रखने हेतु अपील की गयी।